



2026:AHC:30553

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5596/2026

भगवान देई

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 13 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अशोक कुमार पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है:—

"1. एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी करें, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, उप-जिलाधिकारी, शाहगंज, जिला-जौनपुर को आदेशित/निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम-खनुवई, परगना अंगुली, तहसील-शाहगंज, जिला-जौनपुर में स्थित आराजी संख्या 716/0.101 हेक्टेयर पर उन सीमा चिह्नों

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को पुनः स्थापित/बहाल करें, जिन्हें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत केस संख्या 04708 वर्ष 2019 (राम प्रताप बनाम गांव सभा), कंप्यूटरिकृत केस संख्या T-201914360104708 में उप-जिलाधिकारी, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 16.12.2020 के अनुपालन में लगाया गया था, इसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 22 और 23 के साथ पठित धारा 24 के प्रावधानों का प्रयोग किया जाए।

II. एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी करें, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, उप-जिलाधिकारी, शाहगंज, जिला-जौनपुर को उनके समक्ष लंबित आवेदन दिनांक 20.08.2025 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 22 और 23 के प्रावधानों के तहत तय करने का निर्देश दिया जाए।"

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, इस रिट याचिका को प्रवेश स्तर पर ही निस्तारित किया जा रहा है।
5. तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है कि वह आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 3-तहसीलदार, तहसील-शाहगंज, जिला जौनपुर के समक्ष अपनी सभी शिकायतों को व्यक्त करते हुए एक नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। यदि ऐसा प्रत्यावेदन दिया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देशित किया जाता है कि वे कानून के अनुसार दो महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करें।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
7. "चूँकि इस रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों (विपक्षी पक्ष) से कोई जवाब मांगे बिना एकपक्षीय संस्करण के आधार पर किया गया है, अतः आज पारित इस आदेश का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार किया है। तीसरा प्रतिवादी (तहसीलदार/अधिकारी) कानून के अनुसार और इस क्षेत्र में लागू कानूनी अधिदेश के तहत पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से विचार करेगा।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”